जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : जीवि/परीक्षा–2/गोप./2013/974 दिनांक : 22/04/2013

MOST IMPORTANT CIRCULAR

// अधिसूचना //

सर्वसंबंधित के सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 707/231/आउशि/शाख–5'अ'/2012, भोपाल दिनांक 10 जुलाई 2012 में दिये गये निर्देशानुसार **स्नातक पाठ्यक्रम को छात्र द्वारा 05 वर्ष की अवधि में पूर्ण किया जाना है।**

अतः जिन छात्रों को सेमेस्टर परीक्षा में ए.टी.के.टी. प्राप्त हुयी है, ऐसे छात्र एक सेमेस्टर परीक्षा में दो विषय में ए.टी.के.टी. के साथ कुल सेमेस्टर की विभिन्न परीक्षाओं में **जैसे–प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की पिछली परीक्षाओं में कुल चार विषय की ए.टी.के.टी. के साथ अगले सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।** साथ ही जिस सेमेस्टर में उन्हें ए.टी.के.टी. की पात्रता है, वह उस सेमेस्टर की ए.टी.के.टी. की परीक्षा में भी सम्मिलित होंगे।

दूसरे शब्दों में स्पष्ट है कि ''जब तक उनके पाठ्यक्रम की अवधि पाँच वर्ष समाप्त नहीं हो जाती है तब तक वह पिछले सेमेस्टर की ए.टी.के.टी. परीक्षाओं में पुराने पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित होते रहेंगे।''

लेकिन जो छात्र सेमेस्टर की परीक्षा में दो विषयों से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होने के कारण परीक्षा में भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होना चाहते हैं, ऐसे छात्रों को शासन द्वारा लागू ''एकल प्रश्न–पत्र प्रणाली'' के अंतर्गत सम्पूर्ण विषयों की परीक्षा में नवीन पाठ्यक्रम के अंतर्गत परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ेगा। ऐसे छात्र पुराने पाठ्यक्रम के अंतर्गत सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों से अनुरोध है कि उक्त अधिसूचना को महाविद्यालय के सूचना–पटल पर छात्रों को सूचित करने हेतु अनिवार्य रूप से चस्पा करें तथा तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

C. Shinde

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपिः–

1. प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, जीवाजी वि.वि.ग्वालियर।
2. उप/सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय), जीवाजी वि.वि.ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव, जीवाजी वि.वि.ग्वालियर।
4. कुलसचिव के गोपनीय/निजी सहायक, जीवाजी वि.वि.ग्वालियर।
5. इंचार्ज इन्टरनेट, जीवाजी वि.वि.ग्वालियर।

सहायक–कुलसचिव (परीक्षा)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन भोपाल–462004

क्रमांक 707 /231/आउशि/शाखा–5'अ'/2012, भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2012

प्रति,

समस्त प्राचार्य,
शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय:–ए.टी.के.टी. के संबंध में प्राप्त समस्याओं के निराकरण बाबत।

–0–

स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर ए.टी.के.टी. से संबंधित प्राप्त समस्याओं का निराकरण नीचे उल्लेखित तालिकानुसार किया जा रहा है।

क्र	प्राप्त समस्या	समाधान/स्पष्टीकरण
1.	स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर ए.टी.के.टी. प्राप्त परीक्षार्थियों को ए.टी.के.टी. परीक्षा उत्तीर्ण करने लिए कितने अवसर प्रदान किये जाते हैं ?	अवसर की गणना विद्यार्थियों के प्रवेश तथा ए.टी.के.टी. की स्थिति अनुसार पृथक–पृथक रहेगी। जब तक उसके पांच वर्ष पूर्ण न हो वह ए.टी.के.टी. की परीक्षा के साथ (सम/विषम सेमेस्टर की परीक्षा में) बैठ सकता है। स्नातक हेतु पांच वर्ष/स्नातकोत्तर हेतु तीन वर्ष की अवधि निर्धारित है। इस कार्यालय के पत्र क्र.189/11/आउशि/2011, दि. 6.9.11 के अनुसार एक समय में चार ए.टी.के.टी.के साथ अगली कक्षा में प्रवेश हो सकता है, किन्तु किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक ए.टी.के.टी. नहीं होनी चाहिए।
2.	वर्तमान सेमेस्टर पद्धति में प्रथम सेमेस्टर में एकल प्रश्न पत्र प्रणाली तो शेष दो/तीन प्रश्न पत्र की परम्परागत प्रणाली लागू है। एक से अधिक अवसर पर ए.टी.के.टी. परीक्षार्थी को प्रदान करने पर, स्थिति यह बनेगी कि एक बाद जिसके परम्परागत दो/तीन प्रश्न पत्रों वाली प्रणाली से परीक्षा दे रहा होगा, वहीं दूसरी बार उसमें एकल प्रश्न पत्र प्रणाली लागू हो चुकी होगी। ऐसी स्थिति में क्या ए.टी.के.टी. परीक्षार्थी को नयी एक प्रश्न पत्र प्रणाली से परीक्षा देनी होगी या वह अपनी परम्परागत दो/तीन प्रश्न पत्रों वाली प्रणाली से परीक्षा देगा ?	जिस प्रश्न पत्र प्रणाली अवधि में विद्यार्थी ने प्रवेश लिया है, उसी प्रणाली अवधि के अंतर्गत मान्य संख्या के प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. की परीक्षा सम्पन्न होगी। यदि ए.टी.के.टी. का विद्यार्थी सत्र 2011–12 के पूर्व से पंजीकृत है तो उसे तत्समय लागू प्रणाली से ही परीक्षा देनी होगी। उसके आगामी सेमेस्टरों की परीक्षाओं में भी वही प्रणाली लागू रहेगी।
3.	यदि परीक्षार्थी के पांचवे सेमेस्टर में पहुँचने पर पांच वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तो क्या उसे छठवें सेमेस्टर की पात्रता होगी ?	नहीं।
4.	यदि पांच वर्ष पूर्ण होने पर स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो पाता तो ऐसे परीक्षार्थियों के लिए क्या प्रावधान है ?	निर्धारित अवधि में उत्तीर्ण नहीं होने वाले विद्यार्थी के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

(डॉ. व्ही.एस निरंजन)
सचिव/आयुक्त
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

क्रमांक 708 /231/आउशि/शाखा–5'अ'/2012, भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2012

प्रतिलिपि:–

1. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
2. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश।

सचिव/आयुक्त
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश